

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष-भू प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/एफ-3/50/2014/10-11/15/1129
प्रति,

भोपाल, दिनांक 24-3-21

श्री बिजेन्द्र स्वरूप,
वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज,
जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- अशोकनगर एवं शिवपुरी जिले में लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना (केन-बेतवा लिंक परियोजना) के निर्माण हेतु 968.24 हेक्टेयर वन भूमि राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ:-भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-08/2016-FC दिनांक 24.03.2021

—0—

विषयांतर्गत प्रकरण में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र से वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) प्रमाण पत्र की पठनीय प्रति चाही गई है। प्रकरण में भारत सरकार द्वारा चाहे अनुसार वन अधिकार अधिनियम, 2006 (FRA) प्रमाण पत्र एवं (FRA) प्रमाण पत्र से संबंधित अन्य अभिलेखों को पुनः स्कैन कर प्रति ई-मेल के माध्यम से संलग्न प्रेषित है।

अतः अनुरोध है, कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्राप्त कर अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।


24/3/2021
(सुनील अग्रवाल)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 24-3-21

पृ. क्रमांक/एफ-3/50/2014/10-11/15/1130
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), शिवपुरी वृत्त शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
 2. वनमण्डलाधिकारी, (सामान्य) वन मण्डल शिवपुरी/अशोकनगर मध्यप्रदेश।
 3. परियोजना प्रबंधक, ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई, बामौरकलां जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ अप्रेषित।


24/3/2021
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

Form-III Annexure-II
(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh
Office of the District Collector Shivpuri

No. 2205

Shivpuri, Date 9.6.14

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (Pt.) Dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional forest Dwellers (Recognition of Forest Right) Act, 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that 273.66 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of water Resources Department (name of user agency) for Lower Orr Major Project (purpose for diversion of forest land) In Shivpuri district falls within jurisdiction of three village (s) in Khaniyadhana Tehsil.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 273.66 hectares of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights committee (s) and the District level committee are enclosed as annexure s-1 to annexure
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest dwellers who are eligible under the FRA.
- Each of concerned Gram Sabha (s) has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measure, if any, having understood Sabha of 4 Village (s) is enclosed as annexure s-2 to annexure s-4.
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- The right primitive Tribal Groups and Pre Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1)(e) The FRA.

Encl.: AS above

(I.U. Khan)

District Organiser

Tribal welfare Department

Shivpuri M.P.

(R.K. Jadhav)

District Collector

District Shivpuri M.P.

Form-II

(For projects other than linear projects)

Government of Madhya Pradesh

Office of the District Collector (Tribal) Ashoknagar

No. 1618.....

Date-14/7/14

To WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes it is certified that **694.58** hectares of forest land including affected 22 persons of 04 villages and the area ~~14.354~~ 14.354 hec. proposed to be diverted in favour of **Water Resources Department** (name of user agency) for **Lower orr Major Project** (purpose for diversion of forest land) in **Ashoknagar** district falls within jurisdiction of 10 (Ten) village(s) in **Chanderi** tehsils.

It is further certified that :

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **694.58** hectares of forest Land proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **I** to **XIII** annexure
- The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA;
- The each of concerned Gram Sabha(s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Ten** villages(s) in enclosed as annexure **III** to annexure **XI**
- The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present;
- The diversion of forest land For facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it;
- The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3(1) (e) of the FRA.

(O.P. Korku) 17/7/14
I/C District Orgniser
Tribal welfare Department
Dist. Ashoknagar (M.P.)

(O.P. Ucharia)
D.F.O.
Dist. Ashoknagar (M.P.)

(R.B. Prajapati)
Collector
Dist. Ashoknagar (M.P.)

कार्यालय ग्राम सभा ~~44/53~~ जनपद पंचायत ~~101/53/12~~ जिला ~~उन्नाव~~ मध्य प्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर बृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम ~~44/53~~ के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यापवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यापवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यापवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यापवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यापवर्तन के फलस्वरूप संभावित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एवं द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :

क त ह

संलग्न

प्रधान ~~ग्राम पंचायत~~ लिखित मुद्रा
जनपद ~~पंचायत~~ ~~मेरी~~ अशोकनगर



लिखित मुद्रा
अशोकनगर
जनपद (मध्य प्रदेश)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा

जनपद पंचायत, वन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक 18/8/2013

प्रस्ताव 9

6819

मोअर और वृहद
जमाशय परियोजना
वन अधिनियम
2006 के अनुसार
श्रमि अधिग्रहण हेतु
सहमति प्रदान करने
वाक्य

→ आज दिनांक 18/8/2013 को ग्राम सभा
सम्मेलन का आयोजन ग्राम-चौपाल ग्राम
पडाडा पर किया गया जिसमें अध्यक्ष
श्रीमान कमल देव साहू ने भाग लेते हुए
एक प्रस्ताव रखवा गया कि मोअर और
वृहद परियोजना निर्माण दीन है जिसमें
वन श्रमि का अधिग्रहण किया जाना है
वन अधिकांश अधिनियम 2006 के अन्तर्गत
वन श्रमि के अधिग्रहण में ग्राम सभा को
कोई आपत्ति नहीं है प्रस्ताव का सर्वजन
सिद्धि अंशुल रूप से स्वीकार किया गया
पारित उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार विमर्श
किया गया इसके पश्चात् संश्लेषण
पारि समिति से सुझाव प्राप्त हुआ
पारित किया गया है जिसकी सत्य
प्रतिष्ठा श्रीमान जी के मोर सादर प्रस्ताव
के तहत है -

(Signature)

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा
जनपद पंचायत वन्देरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा
जनपद पंचायत वन्देरी, अशोकनगर

क्र.सं.	उपस्थित सदस्य का नाम	हस्ताक्षर	पृष्ठ सं.	सामकर्मकर्ता	सामकर्मकर्ता का नाम
1	दयाराम मोदी	दयाराम	17	सामकर्मकर्ता	
2	आगीराम मोदी		18	सामकर्मकर्ता	सिमला
3	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	19	सामकर्मकर्ता	
5	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	20	सामकर्मकर्ता	
6	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	21	सामकर्मकर्ता	सामकर्मकर्ता
7	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	22	सामकर्मकर्ता	
8	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	23	सामकर्मकर्ता	
9	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	24	सामकर्मकर्ता	
10	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	25	सामकर्मकर्ता	
11	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	26	सामकर्मकर्ता	
12	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	27	सामकर्मकर्ता	
13	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	28	सामकर्मकर्ता	
14	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	29	सामकर्मकर्ता	
15	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	30	सामकर्मकर्ता	
16	अष्टपुराज पट्टा	अष्टपुराज	31	सामकर्मकर्ता	
			32	सामकर्मकर्ता	
			33	सामकर्मकर्ता	
			34	सामकर्मकर्ता	
			35	सामकर्मकर्ता	
				सामकर्मकर्ता	

कार्यालय ग्राम सभा ~~4/2/21~~ जनपद पंचायत ~~12/2/21~~ जिला ~~3/2/21~~ मध्य प्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

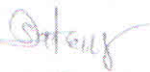
1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और बृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम ~~4/2/21~~ के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :

कता हा

सत्य

प्रधान-ग्राम सभा निधीर मुक्त
हस्ताक्षर-ग्राम सभा निधीर मुक्त



सद्वि
ग्राम पंचायत निधीर मुक्त
1 जनपद पंचायत चन्देरा
जिला अशोकनगर (म0प्र0)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपत्ता

जनपद पंचायत, चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक

दिनांक 17/8/013

प्रस्तावक 4

68219

लोअर ओर कृषक
जलाशय परियोजना
वन अधिक नियम
2006 के अनुसार
शसि अधिकरण हेतु
सहमति प्रदान करने
वाक्य

आज दिनांक 17/8/013 को ग्राम सभा
सम्मेलन का आयोजन प्रा. वि. पगरा पर
हिया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमति कमलदेवी
सरपंच द्वारा की गई। प्रस्ताव रख गया
कि लोअर ओर कृषक परियोजना
निर्माणधीन है जिसकी में वन शसि का
अधिकरण लिया जाना है वन अधिकार
अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन शसि के
अधिकरण में ग्राम सभा के कोई आपत्ति नहीं
प्रस्ताव का समर्थन श्री रामछोट आदवाणी पंड
डाल दिया गया परित उपरोक्त प्रस्ताव
पर विचार विमर्श किया इसके पश्चात सभके
के द्वारा सर्व समिति से बहुत बात
प्रस्ताव पारित किया फाला है

सचिव

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपत्ता
जनपद पंचायत चन्देरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

सरपंच

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपत्ता
जनपद पंचायत चन्देरी, अशोकनगर

			16	સિ	શિશુપાલ સેન	શિશુપાલ
1	મો દિમાનસિંહ માદવ	નિદુમાનસિંહ	17		ડોમસિંહ માદવ	ડોમસિંહ
2	મવલરામસિંહ માદવ	મવલરામસિંહ	18		રામસિંહ માદવ	રામસિંહ
3	મ અમરામ માદવ	મ અમરામ	19		શિવસિંહ માદવ	શિવસિંહ
4	મ રામસિંહ માદવ	મ રામસિંહ	20		મિલકામ માદવ	મિલકામ
5	મવલરામસિંહ માદવ	મવલરામસિંહ	21		રામસિંહ માદવ	રામસિંહ
6	મિશન માદવ	મિશન	22		મિલકામ માદવ	મિલકામ
7	શિશુપાલ માદવ	શિશુપાલ	23		કે.સે. માદવ	કે.સે. માદવ
8	સોનસિંહ માદવ	સોનસિંહ	24		મવલરામસિંહ માદવ	મવલરામસિંહ
9	જનકસિંહ માદવ	જનકસિંહ	25		સુરજરામ માદવ	સુરજરામ
10	લાલસિંહ માદવ	લાલસિંહ	26		શિશુપાલ માદવ	શિશુપાલ
11	જનક લાલ માદવ	જનક લાલ	27		કે.સે. માદવ	કે.સે. માદવ
12	મોતરામ માદવ	મોતરામ	28		કે.સે. માદવ	કે.સે. માદવ
13	રામસિંહ માદવ	રામસિંહ	29		અવલસિંહ માદવ	અવલસિંહ
14	મોતરામસિંહ માદવ	મોતરામસિંહ	30		રામસિંહ	રામસિંહ
15	શિશુપાલ માદવ	શિશુપાલ	31		મવલરામ માદવ	મવલરામ
			32		કે.સે. માદવ	કે.સે. માદવ

DATE: / /	
33	नरिबडि
34	कल्लरीबडि
35	छोटे माहवासी छोटे
36	कल्लु माहवासी
37	रमेश माहवासी
36	खवल माहवासी
37	ल्यारीवाइ चहवा
39	कीरुकिह माहवासी
40	रामारिह बाग्य जिरा
41	जेरुसिह बाग्य
राज्य प्रसिद्धि सचिव प्रान्त प्रशासन विभाग भुवनेश्वर खनद पदादेश बन्दरी जिला असाकुनर (मोडरा)	

35

कार्यालय ग्राम सभा लिथोरा/जनपद पंचायत-27.11.11 जिला 27.11.11 मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

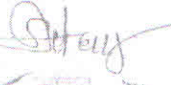
1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर बृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम लिथोरा मुजफ्फा के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत मात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न: ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :

के. टी. ए.

सत्यं

ग्राम पंचायत लिथोरा मुजफ्फा
जनपद पंचायत बरेली अशोकनगर


मुख्य अधिकारी लिथोरा मुजफ्फा
जनपद पंचायत बरेली
जिला अशोकनगर (मध्यप्रदेश)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपता

जनपद पंचायत, चन्देरी जिला अंशोकनगर (म.प्र.)

क्रमांक

कार्यवाही की सत्य प्रतिलिपि

दिनांक 15/8/2013

प्रस्ताव क्र 5

बहराव

विषय

लोअर और ब्रह्म

जलाशय परियोजना

वन अधिकार अधिनियम

2006 के अनुसार श्रमि

अधिग्रहण हेतु सहमति

पुदान करने के कारण

→ आज दिनांक 15/8/2013 को पंचायत मुख्यालय पर
ग्राम लिधौरा पर ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन

किया गया जिसकी अध्यक्षता श्रीमान कमल उग्र

पामार सरपंच द्वारा की गई

प्रस्तावक श्रीमान कमल उग्र सरपंच ने बताया

रखा कि लोअर और ब्रह्म परियोजना निर्माण

धीन है जिसमें वन श्रमि का अधिग्रहण

किया जाना है वन अधिकार अधिनियम

2006 के अंतर्गत वन श्रमि के अधिग्रहण में

ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है अतः

सर्व समान से प्रस्ताव पारित किया गया

जारा है। समर्थन प्रस्ताव का समर्थन श्रीमान

कमल उग्र उपसमर्थन मल्लीराज शर्मा द्वारा किया

गया पारित उपरोक्त प्रस्ताव पर बिचार विमर्श किया

गया के पश्चात् सदस्यों के द्वारा वोटिंग के

वर्णन से पारित किया गया।

सत्य

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपता
जनपद पंचायत चंदेरी अंशोकनगर

क्र.	दिनांक	उपस्थित व्यक्ति का नाम	उपस्थित	17	18/4/2019	उपस्थित व्यक्ति का नाम	उपस्थित
1	15/8/2019	श्री लालचरण शर्मा	लालचरण शर्मा	18		लालचरण शर्मा	लालचरण
2		श्री सत्यनारायण शर्मा	सत्यनारायण शर्मा	19		लालचरण शर्मा	लालचरण
3		श्री अजीत कुमार		20		लालचरण शर्मा	लालचरण
4		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	21		लालचरण शर्मा	लालचरण
5		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	22		लालचरण शर्मा	लालचरण
6		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	23		लालचरण शर्मा	लालचरण
7		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	24		लालचरण शर्मा	लालचरण
8		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	25		लालचरण शर्मा	लालचरण
9		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	26		लालचरण शर्मा	लालचरण
10		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	27		लालचरण शर्मा	लालचरण
11		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	28		लालचरण शर्मा	लालचरण
12		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	29		लालचरण शर्मा	लालचरण
14		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	30		लालचरण शर्मा	लालचरण
15		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	31		लालचरण शर्मा	लालचरण
16		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	32		लालचरण शर्मा	लालचरण
		श्री अजीत कुमार	अजीत कुमार	33		लालचरण शर्मा	लालचरण

34	15/8/13	जवाहर सिंह परिसर	जवाहर
35		राजाराज	राजाराज
36		लालाराम रणक	लालाराम
37		धर्मेश्वर सिंह	धर्मेश्वर सिंह
40	15/8/13	राजेश्वर सिंह पादग	राजेश्वर सिंह
41		रुद्रेश्वर राणा कुंज	रुद्रेश्वर राणा कुंज
42		हरीशचन्द्र	हरीशचन्द्र
43		निरमा रणक	
44		कमलेश्वर मोदी	 कमलेश्वर मोदी राज. नं. 10/1/13 (वि. नं. 10/1/13)
45		जवाहर सिंह कोटवाल	
46		अमरनाथ	
47		श्याम बाबू शर्मा	 श्याम बाबू शर्मा राज. नं. 10/1/13 (वि. नं. 10/1/13)
48		संपूर्ण कुंज	
49		गजेश्वर सिंह कुंज	
50		जवाहर सिंह माला	
51		आगीर क	

आगीर क
राज. नं. 10/1/13
(वि. नं. 10/1/13)

कार्यालय ग्राम सभा किरीया जनपद पंचायत किरीया जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम किरीया के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सम्बन्ध औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :

क त त ह

संलग्न
प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत किरीया अशोकनगर
हस्ताक्षर ग्राम पंचायत किरीया अशोकनगर

अशोकनगर

सचिव
ग्राम पंचायत किरीया, अशोकनगर
जनपद पंचायत चन्देरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

कार्यालय : ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा

जनपद पंचायत, चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)

दिनांक 16/8/2013

क्रमांक

प्रमाण क्र 7

8819

लोकार उद्घाटन 2006
जलाशय परियोजना
वन अधिकारि 2006
के अनुसार शक्ति अधिक
गठन हेतु समिति
प्रदान करने वाला

आज दिनांक 16/8/2013 को ग्राम सभा सकेल
ग्राम लिधौरा में ग्राम सभा सकेलन का
आयोजन गांव-कोषाल पर किया गया
जिसमें अध्यक्षता श्रीमती कमल देवी (सदस्य
आरा कीमती एवं प्रभाव रखता गया कि
लोकार उद्घाटन 2006 परियोजना निर्माणाधीन है
जिसमें वन अधिकार अधिकारि 2006 के अंतर्गत
वन अधिकार अधिकारि 2006 के अंतर्गत
वन अधिकार अधिकारि 2006 के अंतर्गत
को कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाण का समर्थन श्रीमती केरीका पेंच
आज किया गया पारित उपरोक्त प्रमाण पर
विचार विमर्श किया गया इसके पश्चात
सदस्यों के आज सभी समिति के वृद्ध
आज पारित किया गया

क त ह

लोकार

साक्षि
ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा
जनपद पंचायत चन्देरी
जिला अशोकनगर (म.प्र.)

सत्य

ग्राम पंचायत लिधौरा मुन्जपटा
जनपद पंचायत चन्देरी अशोकनगर

क्रमांक	अवधि	दिनांक	विवरण	दिनांक	विवरण
1	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
2	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
3	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
4	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
5	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
6	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
7	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
8	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
9	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
10	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
11	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
12	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
13	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
14	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष
15	विशेष	20/12/19	विशेष	20/12/19	विशेष

31

कार्यालय ग्राम सभा रव्यावडी जनपद पंचायत रव्यावडी जिला अरवि मध्य प्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम रव्यावडी के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्षा कर्मांक भी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति। अ. ब. देशराज
दिनांक 19/8/2013 रावेठ सरपंच

ग्राम सभा के अध्यक्ष रावेठ प्रधान/सरपंच
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित
जिला अशोकनगर

(4)

लाकर और इन्हें जलाशय
परि योजना वन अधिकार
अधिनियम 2006 के
अनुसार सूचि अधि उद्घरण
है संसमति उद्घरण
कले बाबर

आज दिनांक 19/8/2013 के आमपेयसत
पिपराई के अन्तर्गत आमपेयसत
के जाला भवन पर आमपेयसत का
आपोजन किया गया दिनांकी
अहमदाबाद शक्ति अन्तर्गत आमपेयसत
संपन्न डारा की गई
उत्तरा वरुण अन्तर्गत आमपेयसत
को आमपेयसत में आमपेयसत का
लाकर और इन्हें जलाशय पर
दीन है किन्तु वन अधिकार
अधिनियम 2006 के
अन्तर्गत वन अधिकार के अधि
उद्घरण में आमपेयसत को आमपेयसत
आपोजन नहीं है अन्तर्गत आमपेयसत
का आमपेयसत किया जाता है
समयान्त - उत्तरा वरुण अन्तर्गत
अहमदाबाद शक्ति अन्तर्गत आमपेयसत
के आमपेयसत किया गया है आमपेयसत
उत्तरा वरुण अन्तर्गत आमपेयसत
विशेष के पत्रांत आमपेयसत
संज्ञान के डारा कुम्भ के
पारित किया जाता है
आमपेयसत की पत्र लिखित
वारिष्ठ अपील की भी आमपेयसत
प्राप्त।

सत्यप्रतिनिधि

अवधि रावाणा
समयान्त
आमपेयसत
आमपेयसत विपरीत
आमपेयसत विपरीत
आमपेयसत विपरीत

(5)

रुग्ण पेयजल की सुविधा
है निर्धारित की
सकी है
समयान्त

सर्वसमिति के तय प्राप्ता प्राप्त है
आमपेयसत की आमपेयसत
के रुग्ण पेयजल की सुविधा

अवधेश राजा

सरपंच

ग्राम पंचायत पिपरीद
जाम्फा बन्दरी (अशोकनगर)

अनवरत

(1) अगरत आदिवासी

(2) रतना

(3) डेवीलाल

(4) अगरत

(5) रामा

(6) शुक्लाबाई

(7) कमल

(8) गजराज

(9) पारवतीबाई

(10) धर्माबाई

(11) गजराज

(12) भोमरा

(13) मानसिंह

(14) अर्जुन

रतना

डेवीलाल

अगरत

रामा

शुक्लाबाई

कमल

गजराज

पारवतीबाई

धर्माबाई

गजराज

भोमरा

मानसिंह

अर्जुन

15	मन्मथवर्मा आडिवी	मन्मथवर्मा
16	रत्नलाल	रत्नलाल
17	बाबूलाल	बाबूलाल
18	पारवती	पारवती
19	देवा वर्मा	देवा वर्मा
20	गीतादास	गीतादास
21	कमलेश	कमलेश
22	चन्द्रमणि सिंह	चन्द्रमणि सिंह
23	कमलेश सिंह / गुप्ता	कमलेश
24	कमलेश सिंह / गुप्ता	चन्द्रमणि
25	अशोक वर्मा	अशोक वर्मा
26	इमरत	इमरत
27	कमलेश सिंह	कमलेश सिंह
28	राजेश	राजेश
29	उदयशर्मा	उदयशर्मा

मध्यमिका
आशुविहारी
महेश
उप महापति विपरीत
महेश महेश महेश

कार्यालय ग्राम सभा (पंचायत) जनपद पंचायत, जिला, मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों को ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।

दिनांक :

सहित

प्रधान/सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा

सचिव

हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा

ग्राम सभा (पंचायत)

जनपद पंचायत (ग्राम)

ग्राम सभा (पंचायत)

जनपद पंचायत (ग्राम)

पत्र सं ग्राम पंचायत/ग्राम लोहागढ, तहसील खनियाधाना
कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि दिनांक

स्थान व दिनांक	उपस्थिति	प्रस्ताव क्र. 2	वहाराव
पंचायत भवन ग्राम लोहागढ दिनांक 16/8/2013	श्री/श्रीमती श्री जे. 256 सरपंच ग्रामसभा सदस्य संख्या 60	लोअर ओर वृहद जलाशय परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2008 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत सचिव के हस्ताक्षर	आज दिनांक 16/8/2013 को पंचायत मुख्यालय पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री/श्रीमती सरपंच द्वारा की गई। प्रस्तावक श्री/श्रीमती (सरपंच) प्रस्ताव श्री/ श्रीमती सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि लोअर ओर वृहद परियोजना निर्माणाधीन है। जिसमें वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वन अधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत वन भूमि के अधिग्रहण में ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सहमति पत्र जारी किया जाता है। समर्थन : प्रस्ताव का समर्थन श्री/ श्रीमती पंच के द्वारा किया गया। पारित : उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार- विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया।

हस्ताक्षर

सचिव
सरपंच

ग्राम पंचायत : लोहागढ
तहसील : खनियाधाना जिला : शिवपुरी
शिवपुरी

हस्ताक्षर

श्री

ग्राम पंचायत : खनियाधाना
तहसील : चंदेरी जिला :

समा का नाम अक्षय

सम्मिलन का समय २५७

अभिलेख की दिनांक 16/8/2017

उपस्थित सदस्यों की संख्या 56

2005/05/20

2. निम्नलिखित में से एक विषय चुनिए और एक निबंध लिखिए।

219/2017-18

3. यदि $\sin A = \frac{1}{2}$ तो $\cos A = ?$

(हस्ताक्षर)

सचिव ग्राम सभा

	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	2101	2102	2103	2104	2105	2106	2107	2108	2109	2110	2111	2112	2113	2114	2115	2116	2117	2118	2119	2120	2121	2122	2123	2124	2125	2126	2127	2128	2129	2130	2131	2132	2133	2134	2135	2136	2137	2138	2139	2140	2141	2142	2143	2144	2145	2146	2147	2148	2149	2150	2151	2152	2153	2154	2155	2156	2157	2158	2159	2160	2161	2162	2163	2164	2165	2166	2167	2168	2169	2170	2171	2172	2173	2174	2175	2176	2177	2178	2179	2180	2181	2182	2183	2184	2185	2186	2187	2188	2189	2190	2191	2192	2193	2194	2195	2196	2197	2198	2199	2200	2201	2202	2203	2204	2205	2206	2207	2208	2209	2210	2211	2212	2213	2214	2215	2216	2217	2218	2219	2220	2221	2222	2223	2224	2225	2226	2227	2228	2229	2230	2231	2232	2233	2234	2235	2236	2237	2238	2239	2240	2241	2242	2243	2244	2245	2246	2247	2248	2249	2250	2251	2252	2253	2254	2255	2256	2257	2258	2259	2260	2261	2262	2263	2264	2265	2266	2267	2268	2269	2270	2271	2272	2273	2274	2275	2276	2277	2278	2279	2280	2281	2282	2283	2284	2285	2286	2287	2288	2289	2290	2291	2292	2293	2294	2295	2296	2297	2298	2299	2300	2301	2302	2303	2304	2305	2306	2307	2308	2309	2310	2311	2312	2313	2314	2315	2316	2317	2318	2319	2320	2321	2322	2323	2324	2325	2326	2327	2328	2329	2330	2331	2332	2333	2334	2335	2336	2337	2338	2339	2340	2341	2342	2343	2344	2345	2346	2347	2348	2349	2350	2351	2352	2353	2354	2355	2356	2357	2358	2359	2360	2361	2362	2363	2364	2365	2366	2367	2368	2369	2370	2371	2372	2373	2374	2375	2376	2377	2378	2379	2380	2381	2382	2383	2384	2385	2386	2387	2388	2389	2390	2391	2392	2393	2394	2395	2396	2397	2398	2399	2400	2401	2402	2403	2404	2405	2406	2407	2408	2409	2410	2411	2412	2413	2414	2415	2416	2417	2418	2419	2420	2421	2422	2423	2424	2425	2426	2427	2428	2429	2430	2431	2432	2
--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---

[Signature]

प्रा. अ. विद्यापीठ

(LX-2)

मुद्रक - आर्या कृतीर मुद्रणालय, शिवपुरी ☎ 220237

(नियम 7 देखिये)

2) $\log_8 64 = 3$

[illegible]

5/10/2014

62151-212 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/30 30/31 31/32 32/33 33/34 34/35 35/36 36/37 37/38 38/39 39/40 40/41 41/42 42/43 43/44 44/45 45/46 46/47 47/48 48/49 49/50 50/51 51/52 52/53 53/54 54/55 55/56 56/57 57/58 58/59 59/60 60/61 61/62 62/63 63/64 64/65 65/66 66/67 67/68 68/69 69/70 70/71 71/72 72/73 73/74 74/75 75/76 76/77 77/78 78/79 79/80 80/81 81/82 82/83 83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 88/89 89/90 90/91 91/92 92/93 93/94 94/95 95/96 96/97 97/98 98/99 99/100 100/101 101/102 102/103 103/104 104/105 105/106 106/107 107/108 108/109 109/110 110/111 111/112 112/113 113/114 114/115 115/116 116/117 117/118 118/119 119/120 120/121 121/122 122/123 123/124 124/125 125/126 126/127 127/128 128/129 129/130 130/131 131/132 132/133 133/134 134/135 135/136 136/137 137/138 138/139 139/140 140/141 141/142 142/143 143/144 144/145 145/146 146/147 147/148 148/149 149/150 150/151 151/152 152/153 153/154 154/155 155/156 156/157 157/158 158/159 159/160 160/161 161/162 162/163 163/164 164/165 165/166 166/167 167/168 168/169 169/170 170/171 171/172 172/173 173/174 174/175 175/176 176/177 177/178 178/179 179/180 180/181 181/182 182/183 183/184 184/185 185/186 186/187 187/188 188/189 189/190 190/191 191/192 192/193 193/194 194/195 195/196 196/197 197/198 198/199 199/200 200/201 201/202 202/203 203/204 204/205 205/206 206/207 207/208 208/209 209/210 210/211 211/212 212/213 213/214 214/215 215/216 216/217 217/218 218/219 219/220 220/221 221/222 222/223 223/224 224/225 225/226 226/227 227/228 228/229 229/230 230/231 231/232 232/233 233/234 234/235 235/236 236/237 237/238 238/239 239/240 240/241 241/242 242/243 243/244 244/245 245/246 246/247 247/248 248/249 249/250 250/251 251/252 252/253 253/254 254/255 255/256 256/257 257/258 258/259 259/260 260/261 261/262 262/263 263/264 264/265 265/266 266/267 267/268 268/269 269/270 270/271 271/272 272/273 273/274 274/275 275/276 276/277 277/278 278/279 279/280 280/281 281/282 282/283 283/284 284/285 285/286 286/287 287/288 288/289 289/290 290/291 291/292 292/293 293/294 294/295 295/296 296/297 297/298 298/299 299/300 300/301 301/302 302/303 303/304 304/305 305/306 306/307 307/308 308/309 309/310 310/311 311/312 312/313 313/314 314/315 315/316 316/317 317/318 318/319 319/320 320/321 321/322 322/323 323/324 324/325 325/326 326/327 327/328 328/329 329/330 330/331 331/332 332/333 333/334 334/335 335/336 336/337 337/338 338/339 339/340 340/341 341/342 342/343 343/344 344/345 345/346 346/347 347/348 348/349 349/350 350/351 351/352 352/353 353/354 354/355 355/356 356/357 357/358 358/359 359/360 360/361 361/362 362/363 363/364 364/365 365/366 366/367 367/368 368/369 369/370 370/371 371/372 372/373 373/374 374/375 375/376 376/377 377/378 378/379 379/380 380/381 381/382 382/383 383/384 384/385 385/386 386/387 387/388 388/389 389/390 390/391 391/392 392/393 393/394 394/395 395/396 396/397 397/398 398/399 399/400 400/401 401/402 402/403 403/404 404/405 405/406 406/407 407/408 408/409 409/410 410/411 411/412 412/413 413/414 414/415 415/416 416/417 417/418 418/419 419/420 420/421 421/422 422/423 423/424 424/425 425/426 426/427 427/428 428/429 429/430 430/431 431/432 432/433 433/434 434/435 435/436 436/437 437/438 438/439 439/440 440/441 441/442 442/443 443/444 444/445 445/446 446/447 447/448 448/449 449/450 450/451 451/452 452/453 453/454 454/455 455/456 456/457 457/458 458/459 459/460 460/461 461/462 462/463 463/464 464/465 465/466 466/467 467/468 468/469 469/470 470/471 471/472 472/473 473/474 474/475 475/476 476/477 477/478 478/479 479/480 480/481 481/482 482/483 483/484 484/485 485/486 486/487 487/488 488/489 489/490 490/491 491/492 492/493 493/494 494/495 495/496 496/497 497/498 498/499 499/500 500/501 501/502 502/503 503/504 504/505 505/506 506/507 507/508 508/509 509/510 510/511 511/512 512/513 513/514 514/515 515/516 516/517 517/518 518/519 519/520 520/521 521/522 522/523 523/524 524/525 525/526 526/527 527/528 528/529 529/530 530/531 531/532 532/533 533/534 534/535 535/536 536/537 537/538 538/539 539/540 540/541 541/542 542/543

பெரும்புலி அமைதி நிதி நிறுவனம்

Figure 1: A line graph showing the relationship between the number of hours spent studying and the score on a test. The x-axis represents 'Hours Studied' (0 to 10) and the y-axis represents 'Test Score' (0 to 100). The data points are: (0, 0), (2, 20), (4, 40), (6, 60), (8, 80), and (10, 100). The line is a straight line passing through the origin, indicating a positive linear relationship.

1. प्रमाणित

ନିଉଟନଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ

புதிதாகத் துவக்கி

[illegible]

2. Antibiotic resistance

Handwritten signature: *Handwritten signature*

2010

(LK-3)

(नियम 7 देखिये)

कार्यवृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नाम समितन का समय
 समितन की दिनांक उपस्थित सदस्यों की संख्या
 समितन का स्थान 3 फरवरी 2023 दिनांक 16/8/2023

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	समितन के कार्यवृत्त
1. भुलाहा / भुलाहा भुलाहा	
2. वंदा / जंगल भुलाहा	
3. भुलाहा / भुलाहा भुलाहा	च दी
4. भुलाहा / भुलाहा	भुलाहा
5. भुलाहा / भुलाहा	भुलाहा
6. भुलाहा / भुलाहा	
7. भुलाहा / भुलाहा	
8. भुलाहा / भुलाहा	
9. भुलाहा / भुलाहा	
10. भुलाहा / भुलाहा	
11. भुलाहा / भुलाहा	
12. भुलाहा / भुलाहा	
13. भुलाहा / भुलाहा	
14. भुलाहा / भुलाहा	
15. भुलाहा / भुलाहा	
16. भुलाहा / भुलाहा	
17. भुलाहा / भुलाहा	
18. भुलाहा / भुलाहा	
19. भुलाहा / भुलाहा	
20. भुलाहा / भुलाहा	

(हस्ताक्षर)
सचिव, ग्राम सभा

2 फरवरी 2023

(हस्ताक्षर)
अध्यक्ष, ग्राम सभा

मुद्रक - आयोग कुटीर मुद्रणालय, दिल्ली-220037

अंक 3

(सं. 7 देखिये)

कार्यवृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नाम

सम्मिलन का समय

सम्मिलन की दिनांक

उपस्थित सदस्यों की संख्या

सम्मिलन का स्थान

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
1. खालास/ 37.3.33	जालिमिंद
2. गज्जारास/ गुलामसिंह भदो	गज्जारास
3. हल्ले, यो/ गज्जारास 44	हल्ले, यो
4. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
5. खल्लास/ गज्जारास 40	खल्लास
6. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
7. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
8. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
9. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
10. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
11. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
12. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
13. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
14. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
15. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
16. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
17. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
18. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
19. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास
20. गज्जारास/ गज्जारास 40	गज्जारास

(हस्ताक्षर)

सचिव, ग्राम सभा

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, ग्राम सभा

8

कार्यालय ग्राम सभा अशोकनगर जनपद पंचायत मेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम अशोकनगर के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।
दिनांक :

सचिव
ग्राम सभा
अशोकनगर

ग्राम पंचायत
अशोकनगर
विशेष सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

कार्यालय - ग्राम पंचायत

जनपद पंचायत चन्देरी जिला अशोकनगर (मध्य)

7

क्रमांक

सत्यप्रतिमिदि ग्राम सभा दिनांक 13/08/2013 को प्रस्ताव 27 की प्रतिक्रिया

दिनांक 13/08/2013

प्रस्ताव 27
13/08/2013

68210

कोशाल (गैर वृद्ध
जलशाय पारिषद
वर्ग (उपस्थित) आयुष्य
2006 के अंतर्गत ग्राम
आयुष्य गण. हेतु शहरी
प्रकार करने वाला

आज दिनांक 13/08/2013 को ग्राम आयोग/सभा में ग्राम
चौपाल पर ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन किया
गया वहाँ की अध्यक्षता श्री जयपाल सिंह शर्मा के
की गई वहाँ में श्री जयपाल सिंह शर्मा का प्रस्ताव
श्री ग्राम के आकर और वृद्ध पारिषद निम्नलिखित
है जिसमें वन अधिकार (उपस्थित) किया जाना है
वन अधिकार (उपस्थित) 2006 के अंतर्गत वन अधिकार
के अधिकारों में ग्राम सभा के कोश (उपस्थित) नहीं
है। इस शहरी प्रकार जारी किया जाता है
प्रस्ताव का समर्थन उपस्थित सभी सदस्यों के द्वारा
किया गया पाकि उपस्थित प्रस्ताव पर विचार
विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों के द्वारा
वृद्ध के पाकि किया गया

सचिव
ग्राम पंचायत चन्देरी
जिला अशोकनगर

जनपाल सिंह
समर्थ
ग्राम पंचायत चन्देरी
जिला अशोकनगर

गा.प. डांगवे लसिया
गा.प. सभा की स्थापना दि. 1/1/77 के.प. दि. 19/8/2007



दि. 19/8/2007

9

क्र.	नाम	पिता	जाति	प्राथ	हस्ताक्षर
01	लडमरा	फन्ना	काठि.	बैरागि	होदमान
02	पन्नालाल	पमरुका	काठि	"	पन्नालाल
03	ज्योत्सना	ज्योत्सना	काठि	"	ज्योत्सना
04	उमरा	उमरा	काठि	"	
05	उमरा	तिपुका	काठि	"	
06	गमल	भीमा	काठि	"	गमल
07	मलका	धिरा	काठि		
08	बलवीर	लदमरा	काठि		बलवीर
09	पहलाल	पहलाल	काठि	"	पहलाल
10	सुनील	रत्ना	काठि	"	सुनील
11	परमलाल सिंह	रत्ना	काठि	"	
12	मणलाल सिंह	जीरुपकिट	काठि	"	मणलाल सिंह
13	गोगाव सिंह	जीरुपकिट	काठि	"	गोगाव सिंह

हस्ताक्षर

सचिव

ग्राम पंचायत महोदय
— 10 यन्दरी (अशोक नगर)

Date _____
Page _____

नाम	पिता	जाति	ग्राम	हस्ताक्षर
देवी सिंह	शूरन सिंह	ठाकुर	केशमिका	देवी सिंह
17 परमा विजय	परमाव सिंह	11	केशमिका	विजय सिंह
19 राम सिंह	मैरो सिंह	11	11	राम सिंह
20 लमकेशवरी	पुत्री रामादे	11	11	लमकेशवरी
21 गोपाल	गोबिंद	11	11	गोपाल
22 मिथि	हलमंत सिंह	11	11	मिथि
23 बाबुलाल	लाला	11	11	बाबुलाल

[Handwritten signature]

प्रधान / सचिव
मुद्रा सहित

कार्यालय - ग्राम पंचायत महोली

जनपद पंचायत चन्देरी जिला अशोकनगर (मध्य)

(4)

क्रमांक 05

सत्यप्रतिक्रिया ग्राम सभा की बैठक दि 17/08/2013
के प्रस्ताव 36 की प्रतिक्रिया

दिनांक 17/08/2013

-प्रस्ताव 36
17/8/2013

हस्ताक्षर

लोकर ओर वृद्ध

जमाशाय परिशोधन

वैज (सुविधा) (सुविधा)

2006 एड (सुविधा) ग्राम

सुविधा ग्रहण हेतु सहाय

प्रकाश करने वाला

(आप दिनांक 17/8/2013 को ग्राम वीहवा में ग्राम की बीच

वैपाल पर ग्राम सभा सम्मेलन का आयोजन किया

गया बैठक की अध्यक्षता श्री जयपाल सिंह सरपंच का

की गई बैठक में श्री जयपाल सिंह सरपंच द्वारा प्रस्ताव

21वां गया कि लोकर ओर वृद्ध परिशोधन निशान

है जिसमें वन भूमि का सुविधाग्रहण किया जाना

है। वन सुविधाग्रहण (सुविधाग्रहण) 2006 एड अंतर्गत

वन भूमि के सुविधाग्रहण में ग्राम सभा को कोई

(सुविधाग्रहण नहीं है।)। अतः सुविधाग्रहण पर जारी किया

जाता है प्रस्ताव का समर्थन उपस्थित सभी

सदस्य सहमत किया गया। पारित उपरोक्त प्रस्ताव

पर विचार विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों

के द्वारा बहुमत से पारित किया जाता है।


सचिव

ग्राम पंचायत महोली
जिला चन्देरी (अशोकनगर)

जयपाल सिंह
सरपंच

ग्राम पंचायत महोली
जिला चन्देरी (अशोकनगर)

बीडला

6

उपाधिकर पंजी गाव बीडला येथे अकराव्या वेळी दि. 17/08/2019 रोजी गावसभेची बैठक झाली.

क्र.	नाम	पिता का नाव	जाति	निवासी	हस्ताक्षर
1	बाबूसिंह	रघुराज सिंह	डाकू	बीडला	बाबूसिंह
2	मौनू	रविशारक	"	"	मौनू राजा
3	चन्द्रपण सिंह	जगदीश सिंह	"	"	चन्द्रपण सिंह
4	आमपाल सिंह	कांतूर सिंह	"	"	आमपाल सिंह
5	मुलेश सिंह	बाबू सिंह	"	"	मुलेश सिंह
6	जितेन्द्र सिंह	बाबू सिंह	"	"	जितेन्द्र सिंह
7	कैसरिया	निठुरा	डाकू	"	कैसरिया
8	गौरव	जिडगा	"	"	गौरव
9	जयसिंह	बाबासाहेब			जयसिंह
10	माधो	बाबासाहेब	डाकू	"	माधो
11	राजेश	परमा	"	"	राजेश
12	जयसिंह	गंगादा	"	"	जयसिंह
13	यशवीर	राजेश	"	"	यशवीर
14	जयपाल सिंह	रामासिंह	डाकू	सरपंच	जयपाल सिंह
15	दीप	कैमल	डाकू		दीप
16	जयपाल	अवधूत			जयपाल
17	रामलक्ष्मी				रामलक्ष्मी
18	दुर्गा				दुर्गा

सचिव
गाव पंचायत सरोली
बीडला

कार्यालय ग्राम सभा जनपद पंचायत, जिला मध्य प्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

सलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।

दिनांक :

सहित


प्रधान/सचिव
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा

पत्र संग्राम पंचायत/ग्राम लोहागढ, तहसील खनियाघाना
कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि दिनांक

स्थान व दिनांक	उपस्थिति	प्रस्ताव 05.02	ठहराव
पंचायत भवन ग्राम लोहागढ दिनांक 16/8/2013	श्री/श्रीमती 0209 सरपंच ग्रामसभा सदस्य संख्या	लोअर ओर वृहद जलाशय परियोजना वन अधिकार अधिनियम 2008 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत सचिव के हस्ताक्षर	आज दिनांक 16/8/2013 को पंचायत मुख्यालय पर ग्रामसभा का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता श्री/श्रीमती 0209 सरपंच द्वारा की गई। प्रस्तावक श्री/श्रीमती 0209 (सरपंच) प्रस्ताव श्री/ श्रीमती 0209 सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि लोअर ओर वृहद परियोजना निर्माणाधीन है। जिसमें वन भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत वन भूमि के अधिग्रहण में ग्रामसभा को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सहमति पत्र जारी किया जाता है। समर्थन : प्रस्ताव का समर्थन श्री/श्रीमती 0209 पंच के द्वारा किया गया। पारित : उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार-विमर्श के पश्चात उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया।

हस्ताक्षर

सचिव
सरपंच

ग्राम पंचायत लोहागढ
तहसील : खनियाघाना जिला : शिवपुरी
शिवपुरी

हस्ताक्षर

श्री 0209

ग्राम पंचायत : खनियाघाना
तहसील : चंदेरी जिला :

कार्यवृत्ति पुस्तक

मान संख्या का योग २५५०
सम्मिलन की दिनांक १५/८/२०
सम्मिलन का स्थान ३५५०

(हस्ताक्षर)
सचिव, ग्राम सभा

अध्यक्ष, ग्राम समिति

24/05/2020

भारत विकास हिंदी संस्थान
 र. म. स्व. निधोदान (विद्यपुरी)

रूप 3

पुस्तक - आरोग्य कुटीर मुद्रणालय, शिवपुरी 220237

प्रारूप-3

(नियम 7 देखिये)

कार्यवृत्ति पुस्तक

ग्राम समाज का नाम लालपुर (महाराष्ट्र) समितिके का समय 12 जून

समितिके की दिनांक 16/8/2023 उपस्थित सदस्यों की संख्या 56

समितिके का स्थान ग्राम लालपुर

ग्राम समाज के समस्त स्वेच्छे गये विषय

समितिके कार्यवृत्ति

उपसम 3
समिति के सदस्यों के द्वारा
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति

उपसम 4
समिति के सदस्यों के द्वारा
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति
समिति के कार्यवृत्ति

समिति के कार्यवृत्ति

समिति के कार्यवृत्ति

समिति के कार्यवृत्ति

समिति के कार्यवृत्ति

(29-3)

(नियम 7 देखिये)

कार्यवृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नाम

सम्मिलन का समय

सम्मिलन की दिनांक

उपस्थित सदस्यों की संख्या

सम्मिलन का स्थान

उपस्थित सदस्यों की संख्या 16/8/2023

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय

सम्मिलन के कार्यवृत्त

1) कुशाग्र / मन्त्रीय सभा

2) वृद्ध / जवान सभा

3) बुजुर्ग / मन्त्रीय सभा

4) किसान / पटन

5) वृद्ध / पटन

6) वृद्ध / जवान

7) वृद्ध / पटन

8) किसान / पटन

9) वृद्ध / पटन

10) किसान / किसान सभा

11) वृद्ध / किसान सभा

12) वृद्ध / जवान सभा

13) वृद्ध / मन्त्रीय सभा

(हस्ताक्षर)

सचिव, ग्राम सभा

सचिव

ग्राम सभा के सदस्यों की संख्या

(हस्ताक्षर)

अध्यक्ष, ग्राम सभा

नारोनी
ग्राम पंचायत / ग्राम लोहमण्ड, तहसील खनियाधाना
कार्यवाही की सत्यप्रतिलिपि दिनांक 16/08/13

स्थान व दिनांक	उपस्थिति	प्रस्ताव	तहरीर
पंचायत मंडल ग्राम लोहमण्ड नारोनी दिनांक 16/08/13	श्री/श्रीमती श्रीमती शारदा संख्या समिति सदस्य संख्या नारोनी 40	लोहमण्ड और वृहद जलाशय परियोजना दम अधिकार अधिनियम 2008 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सहमति प्रदान करने बाबत समिति के सदस्य	आज दिनांक 16/08/2013 को पंचायत मुख्यालय पर प्रांगण का आयोजन किया गया जिसकी अध्यक्षता श्री/श्रीमती शारदा... सारपंच द्वारा की गई। प्रस्तावक श्री/श्रीमती शारदा (सारपंच) प्रस्ताव श्री/श्रीमती शारदा सारपंच ने प्रस्ताव रखा कि लोहमण्ड और वृहद परियोजना विभाजित है जिसमें दम भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। यह अधिकार अधिनियम 2008 के अंतर्गत दम भूमि को अधिग्रहण में सामग्री को कोई आपत्ति नहीं है। अतः सहमति प्रदान जारी किया जाता है। समर्थन प्रस्ताव का समर्थन श्री/श्रीमती नारोनी... पंच के द्वारा किया गया। पारित : उपरोक्त प्रस्ताव पर विचार- विमर्श के प्रस्ताव उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया।

हस्ताक्षर
16/08/13

सचिव

ग्राम पंचायत नारोनी ग्राम
तहसील खनियाधाना जिला शिवपुरी

श्रीमती
नारोनी
ग्राम पंचायत नारोनी
श्री शारदा सचिव

ग्राम पंचायत : खनियाधाना
तहसील : बदेरी जिला : शिवपुरी

(नियम 7 देखिये)

कार्यवृत्त पुस्तक

ग्राम सभा का नाम भारोनी सम्मिलन का समय 11/11/20
 सम्मिलन की दिनांक 16/11/20 उपस्थित सदस्यों की संख्या 13
 सम्मिलन का स्थान ग्राम मध्य चौपाल पर

ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	सम्मिलन के कार्यवृत्त
	आम दिनांक 16/11/20 को ग्राम में भारोनी की बैठक का आयोजन श्री श्री कृष्ण चंद में सम्पन्न। 14 मार्च 2020 को ग्राम-चौपाल पर आयोजित दिनांक 16/11/20 को ग्राम सभा में एकमात्र बहुमत विद्यमान। ग्राम में 10 पर वार्ड की गठी / वार्ड में प्रत्येक ग्राम में ग्रामोदय की कठिनाई निरख गयी। -
1. ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	आम दिनांक 16/11/20 को ग्राम सभा पर ग्रामोदय के ग्राम सभा में भारोनी पर आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सरपंच द्वारा की गयी।
2. ग्राम सभा के समक्ष रखे गये विषय	ग्राम सभा की गठी ग्राम सभा में प्रत्येक रखा कि लोक को 95% जायोजन किया गया कि जो कि वर्ग ग्राम को आयोजन किया जाना हो वर्ग आयोजन आयोजित 2000 के ग्राम सभा में ग्राम के आयोजन में ग्राम सभा को कौन आयोजन गठी में करी, ग्राम सभा पर ग्राम सभा में समय 1. ग्राम सभा को ग्राम सभा में पेय के द्वारा किया गया, ग्राम सभा

(हस्ताक्षर)
 सचिव
 ग्राम पंचायत खैरोदा
 ज.प. खैरोदा (शिवपुरी)

(हस्ताक्षर)
 सचिव
 (हस्ताक्षर) ग्राम पंचायत खैरोदा
 सचिव ग्राम सभा खैरोदा (शिवपुरी)

(हस्ताक्षर)
 अध्यक्ष ग्राम सभा
 (N-2)

प्रारूप

③

ग्राम सभा का नाम

सम्मिलन का समय

सम्मिलन की दिनांक

उपस्थित सदस्यों की संख्या

सम्मिलन का स्थान

(हस्ताक्षर) पता सं

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

1. ग्राम पंचायत का नाम ग्राम पंचायत नारदी 4. सम्मिलन का स्थान ग्राम पंचायत नारदी
 2. ग्राम सभा का नाम ग्राम सभा 5. सम्मिलन का समय 11 अक्टूबर 13
 3. सम्मिलन की तारीख 15 अक्टूबर 13

अनुक्रमांक	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
1	रामसिंह	रामसिंह
2	केपीसिंह	केपीसिंह
3	शामपाल	शामपाल
4	पातीराम (चौकीदार) कोठवार	पातीराम कोठवार
5	कपूर	कपूर
6	कल्याणसिंह	कल्याणसिंह
7	देवेंद्र	देवेंद्र
8	संजु	संजु
9	भरत (मेह)	भरतसिंह
10	शैलान	शैलान
11	रमेश नंशकार	रमेश
12	दमरु साहिवासी	दमरु
13	कान्हा राजक	कान्हा
14	बादलसिंह यादव	बादलसिंह
15	भमोयसिंह	भमोयसिंह
16	भरवन्	भरवन्
17	राजाधिया	राजाधिया
18	मुकेश यादव	मुकेश यादव
19	साकूलाल राजक	साकूलाल
20	तिलकसिंह यादव	तिलकसिंह
21	सेदपालसिंह यादव	सेदपालसिंह
22	शंकरसिंह	शंकरसिंह

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में).....

स्थान.....

तारीख.....

सचिव के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

(नियम 6 देखिये)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

- ग्राम पंचायत का नाम.....
- ग्राम सभा का नाम.....
- सम्मिलन की तारीख.....
- सम्मिलन का स्थान.....
- सम्मिलन का समय.....

अनुक्रमांक	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
23.	जिनेन्दु यादव	जिनेन्दु सिंह
24.	जीवन सिंह यादव	जीवन
25.	राजपाल यादव	राजपाल
26.	मिथीलाल	बंमि श्रीलाल
27.	विष्णुलाल सिंह	विष्णुलाल
28.	सुब्बलाल सिंह	सुब्बलाल सिंह
29.	राजाराम	राजाराम
30.	रवि	रवि
31.	राजपाल	राजपाल
32.	तेजराज सिंह	तेजराज
33.	भारत यादव	भारत
34.	प्रतिपाल	प्रतिपाल
35.	सुंदरा	सुंदरलाल
36.	दिनेश्वर सिंह	दिनेश्वर
37.	अमोल सिंह	अमोल सिंह
38.	कैलाश	कैलाश
39.	बहादुर सिंह	बहादुर सिंह
40.	(बामी) बलराम यादव	बलराम
41.	रामचरण वंशाकार	रामचरण
42.	अंगद यादव	
43.	अशाराम	अशाराम
44.	बाबूलाल यादव	बाबूलाल
45.	मूलू राज	मूलू

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में).....

स्थान.....

तारीख.....

सचिव के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

(M-3)

(नियम 6 देखिये)

ग्राम सभा के सदस्यों की उपस्थिति पंजी

पंचायत का नाम खेड़ा 4. सम्मिलन का स्थान पं.
 ग्राम सभा का नाम खेड़ा 5. सम्मिलन का समय
 सम्मिलन की तारीख

अनुक्रमांक	सम्मिलन में उपस्थित सदस्यों के नाम	सदस्यों के हस्ताक्षर
46	मनरवान यादव	
47	सत्यमान सिंह यादव	
48	बल्लू (बाली राम)	बाली राम
49	मानन्द	Anand
50	तरवर सिंह	तरवर सिंह
51	संग्राम सिंह	संग्राम
52	रामवीर यादव	रामवीर यादव
53	परमाल सिंह	परमाल
54	भुकरा	भुकरा
55	लूमी अष्टिबट (कांग्रेसवादी कार्यकर्ता)	
56	लाकही सिंह (सहसमेत)	
57	रामपाल	रामपाल
58	केशर वाई (सहायक)	केशर वाई
59	राजाभैया	राजाभैया
60	जिहान सिंह (मिहवार मिहवार)	जिहान सिंह
61	साहब सिंह परिवार	Sahb
62	नैपाल सिंह (राजगार सहायक)	N.S. Yadav
63	संतोष सिंह (सहायक)	
64	सत्येंद्र कुमार गुप्ता, प्रा. वि. खेड़ा	S.K. Gupta
65	मोहर सिंह यादव समिति राजा होलक	M. Mohar Singh

उपस्थित सदस्यों की कुल संख्या (शब्दों में)स्थान खेड़ातारीख 15/11/13

शानवी

सचिव के हस्ताक्षर

(मुद्रा)

(N-1)

(11)

कार्यालय ग्राम सभा रुक्मेश्वर (गोड्डलगाँव) जनपद पंचायत रुक्मेश्वर जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर ओर वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम रुक्मेश्वर के आश्रित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य ने पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिनंदन/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।

दिनांक: 17/8/2013

अशोकनगर
सरपंच
ग्राम पंचायत रुक्मेश्वर
जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश

अशोकनगर
सरपंच
प्रधान/स्थिति विवरण
हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी/सहित

प) लीअर और छहद जलाना काल दिनांक 17/8/2013
परिभाषा वन अधिकार को ग्राम पंचायत पिपरी
अधिनियम 2006 के के अन्तर्गत ग्राम समेत के
अनुसार अधिग्रहण शाला भवन पर ग्राम सभा
हेतु सहमति प्रदान का आयोजन किया गया
कानूनी बाधन जिसकी अध्यक्षता, प्रमोद
अवधेश राजा चौधरी द्वारा की गई
प्रस्तावक विमर्श अवधेश
राजा चौधरी द्वारा प्रस्तुत
प्रस्ताव राख कर लीअर
और छहद परिभाषा निम्न
दीन ही जिसमें वन अधि
का अधिग्रहण किया जाना
है वन अधिकार अधिनियम
2006 के अन्तर्गत वन
भूमि के अधिग्रहण में
ग्राम सभा को कोई आपत्ति
नहीं है। अतः सहमति प्राप्त
जारी किया जा रहा है।
समर्थन:- प्रस्ताव का समर्थन
श्री इमरत सिंह आदिवासी
पंच के द्वारा किया गया है।
पारित:- उपरोक्त प्रस्ताव
पर विचार - विमर्श के
प्रकाश उपस्थित लोगों
के द्वारा बहुमत से पारित
किया गया प्रस्ताव की प्रति निर्दिष्ट
वारिज कापिलम की अभी
भेजी जाए

सत्यप्रतिनिधि

अवधेश राजा
समर्थक
ग्राम पंचायत पिपरी
नामक ग्राम में
अवधेश राजा
ग्राम पंचायत पिपरी
नामक ग्राम में

ड) स्वच्छ पेयजल की सुलभता स्वयंसेवक समिति के तहत पाया जाता
है निरंतरता की है कि आपकी गाँव में स्वच्छ पेयजल
सुविधा के संबंध में

अवधेश राणा
सरपंच

ग्राम पंचायत पिपरीद
जमशेदपुर जिल्ला (अमरकान्तक)

- | | | |
|---|------------------------|----------------|
| ① | रामा लाल आदिवासी | रामा लाल |
| ② | रघुवीर सिंह आदिवासी | रघुवीर सिंह |
| ③ | जानकी लाल | जानकी लाल |
| ④ | गुड्डा | गुड्डा |
| ⑤ | निरन सिंह | निरन सिंह |
| ⑥ | लाला राम | लाला राम |
| ⑦ | शशिमा बार्ड | शशिमा बार्ड |
| ⑧ | रतना | रतना |
| ⑨ | सुमित्रा बार्ड | सुमित्रा बार्ड |
| ⑩ | अशुन सिंह आदिवासी | अशुन सिंह |
| ⑪ | परिमला बार्ड | परिमला बार्ड |
| ⑫ | वीरन आदिवासी / लक्ष्मी | वीरन |
| ⑬ | पद्म आदिवासी | पद्म |
| ⑭ | सुबलाल आदिवासी | सुबलाल |

- | | | | |
|------|---------------------|--------------|------|
| (15) | देवपाल भुजरे | देवपाल भुजरे | (32) |
| (16) | चन्द्रमान सिंह | चन्द्रमान | (33) |
| (17) | भुजिया | भुजिया | (34) |
| (18) | परवत | परवत | (35) |
| (19) | रतिराफ | रतिराफ | (36) |
| (20) | गौहन | गौहन | (37) |
| (21) | इमरत | इमरत | (38) |
| (22) | कमल | कमल | (39) |
| (23) | पुष्पमान सिंह भुजरे | पुष्पमान | (40) |
| (24) | वीरत / कमल | वीरत | (41) |
| (25) | आमर | आमर | (42) |
| (26) | अधम सिंह काठिया | अधम सिंह | (43) |
| (27) | अजयमान सिंह | अजयमान | (44) |
| (28) | हरजमान सिंह | हरजमान | (45) |
| (29) | वागुमान | वागुमान | (46) |
| (30) | कुमान सिंह | कुमान सिंह | (47) |
| (31) | अभुजरे | अभुजरे | (48) |

(2) કાષ્ઠાવાડી ઉલ્લેખ

કુણાગડી

(33) મુખરૂત લિદે ના -

મુખરૂત

(34) મુલીઆર ના

મુલીઆર

(35) મેલિદા વાર્ડ

મેલિદા

(36) છુલ્લુ વાર્ડ

છુલ્લુ

(37) મન કોવાર

મન

(38) પાના વાર્ડ

પાના

(39) ઝડડીવાર

ઝડડી

(40) રીંગ વાર્ડ

રીંગ

સાચી રીતે લિદે -

આદા મિદે લીદા

મારે

સાચી રીતે લિદે

સાચી રીતે લિદે

कार्यालय ग्राम सभा मोहरा जनपद पंचायत खंडेरी जिला अशोकनगर मध्यप्रदेश
ग्राम सभा का सहमति पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि :

1. राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण द्वारा जिला अशोकनगर की (परियोजना का नाम) लोअर और वृहद परियोजना का कार्य किया जाना प्रस्तावित है। मेरी पंचायत क्षेत्र के ग्राम मोहरा के आरक्षित/संरक्षित वन क्षेत्र के कक्ष क्रमांक पी में है। उक्त वन भूमि के व्यपवर्तन का प्रस्ताव वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अंतर्गत ग्राम सभा के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत है।
2. वन भूमि व्यपवर्तन का प्रस्ताव अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र वन निवासियों की ग्राम सभा के समक्ष रखा गया है, जिसमें ग्राम सभा के 50 प्रतिशत से अधिक सदस्य उपस्थित थे।
3. ग्राम सभा यह प्रमाणित करती है कि व्यपवर्तन के लिए आवंटित वन भूमि के सम्पूर्ण क्षेत्र पर अनुसूचित जनजाति अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्राम सभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है।
4. वन भूमि व्यपवर्तन के फलस्वरूप संपादित किये जाने वाले कार्य से पंचायत क्षेत्र के विकास की संभावना है। अतः ग्राम सभा एतद् द्वारा उक्त कार्य पर अपना अभिमत/सहमति व्यक्त करती है।

संलग्न:- ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति।

दिनांक :


प्रधान/सचिव ग्राम सभा मोहरा जनपद खंडेरी
हस्ताक्षर नाम एवं मुद्रा सहित

प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

07 मर्यादा आश्रयन के सम्बंध में

आज दिनांक 15/08/2023 को मर्यादा आश्रयन योजना के अंतर्गत ग्राम सभा में चर्चा की गई ग्राम सभा में तय पाया गया की ग्राम मोहनपुर में 184 शौचालयों का निर्माण परिवारों द्वारा किया गया है। और परिवार शौचालय निर्माण करने का संकल्प लिया एवं सुते में शौच करने का संकल्प पारित कराया गया जो भी व्यक्ति जरूर शौच करने जरूर जामे उस पर प्रतिबंध लगाया जाए प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

08. पेंशन सूची का वाचन के सम्बंध में

आज दिनांक 15/08/2023 को दिवंगतों की सूची का वाचन किया गया जिसमें सभी दिवंगत पात्र पाये गये इन पर ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है। यह प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

09. लोअर और हृदय जमाशय परियोजना का अविचार अधिनियम 2008 के अनुसार भूमि अधिग्रहण हेतु सार्वजनिक उत्तान करने हेतु।

आज दिनांक 15/08/2023 को ग्राम पंचायत मोहनपुर मुख्यालय पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया। जिसमें अध्यक्षता श्रीमति सुदीर्घा लोधी सरपंच द्वारा की गई। जिसमें सरपंच ने प्रस्ताव रखा कि लोअर और हृदय परियोजना निर्माणाधीन है। जिसमें वन भूमि का अधिग्रहण किया जाया है। वन अधिनियम 2008 के अंतर्गत वन भूमि के अतिक्रमण के अधिग्रहण में ग्राम सभा के कोई आपत्ति नहीं है। मत। उद्देश्य पत्र जारी किया जाता है। प्रस्ताव का वर्तमान उपरोक्त प्रस्ताव पारित किया निर्धार के बाद उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया गया।

10. श्री आरुण जी एडवोकेट योजना अंतर्गत स्वीकृत भौतिक/प्राणी भवन के मंडुकोरन वापस।

दाखल प्रति निधि

आज दिनांक 15/08/2023 को ग्राम सभा की बैठक में श्री आरुण जी एडवोकेट के अंतर्गत ग्राम सभा के स्वीकृत भौतिक/प्राणी भवन के मंडुकोरन वापस के निर्माण कार्य पर चर्चा किया गया कि भौतिक/प्राणी की स्वीकृत भवन संपादन में बाधा हुई है। जिसका ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों के द्वारा बहुमत से पारित किया जाता है। प्रस्ताव सर्व सम्मति से पारित किया जाता है।

सचिव
ग्राम पंचायत मोहनपुर
जनपद पंचायत मोहनपुर

ग्राम पंचायत में करारोपण से

आज दिनांक 15/08/2023 को ग्राम सभा की बैठक ग्राम पंचायत में करारोपण से

શામ સમા ઉપરિચાતિ પંજી

(18)
PAGE NO. ૨૦૫
DATE: / /

૧	ક્રીમતિ છુન્દીવાર સિંચેય	ક્રીમતિ
૨	અંબુદા અહિરવાર	અંબુદા
૩	મળ્લૂ અહિરવાર	મળ્લૂ
૪	અનરત અહિરવાર	અનરત
૫	ધન્ના અહિરવાર	ધન્ના
૬	કેહર પ્રજાપતિ	કેહર
૭	રામરતન ભૌધી	રામરતન
૮	બધરા રાજક	બધરા
૯	બન્દેવ અહિરવાર	બન્દેવ
૧૦	શિવપયાલ જો	શિવપયાલ
૧૧	વૃગમાન ભૌધી	વૃગમાન
૧૨	મીતીભાલ રાજક	મીતીભાલ
૧૩	વીરમ ભૌધી	વીરમ
૧૪	પરભાલ ભૌધી	પરભાલ
૧૫	ફૂલસિદ અહિરવાર	ફૂલસિદ

दिनांक - 15/08/2013

PAGE NO. 19
DATE

16	परमाल रजक	परमाल
17	राकेश खड्गवार	राकेश
18	संतोष खड्गवार	संतोष
19	देवराज वीमर	देवराज
20	शमरतन सेन	शमरतन
21	नारायण रजक	नमन
22	रंजीत झा	रंजीत
23	हल्दी आर्जवासी	
24	अनुराध आर्जवासी	अनुराध
25	नगनासिंह कौली	नगनासिंह
26	जयराज लुहार	जयराज
27	केरन लुहार	केरन
28	शिरनाम पंडित (कोरणा)	शिरनाम
29	पहलराज रजक	पहलराज

ગ્રામ ભગ્ના ઉપસ્થિતિ વિગતે 15/08/2013

DATE: / /

30	આજવસિંહ લોધી	15/6/13
31	મંજેશ છુહાર	મંજેશ
32	લાલુભાઈ લોધી	લાલુભાઈ
33	દરબાઈ/મદ લોધી	દરબાઈ
34	શમનિવાસ લોધી	શમનિવાસ
35	નયુના મહિલા	
36	મલભાઈ મહિલા	મલભાઈ
37	રમેશ મહિલા	રમેશ
38	લાલારામ મહિલા	લાલારામ
39	દેવરાજ લાડ	દેવરાજ
40	મંજેશ છુહાર	મંજેશ
41	રવિભાઈ શેખા	રવિ
42	જામનિવાસ	જામનિવાસ
43	વીર સુભા	વીર
44	સંજય/સિંહ ભોળી	સંજય/સિંહ

ग्राम लभा उपस्थिति 15/08/2013

PAGE NO.
DATE

21

45	धीरज प्रजापति	धीरज
46	पुनर्नाथ	वि. मुकुंद भाग
47	सुधामा प्रसाद शेर	सुधामा शेर
48	उमाशंकर पंडे	उमाशंकर पंडे
49	सीताराम सुहा	सीताराम
50	विष्णु बजठ	विष्णु
51	शिशुपाल मरिया	शिशुपाल मरिया
52	पीरम पाल	पीरम
53	दीपचंद प्रजापति	दीपचंद
54	शोभाशम लोदी	शोभाशम
55	मनुका मरिया	
56	मलकमिह मरिया	
57	मीमति सुलवती प्रजापति	
58	चल्लू मरिया	
59	रामचल मरिया	

ग्राम पंचायत महनपुर
जयपुर, राजस्थान